2025: CGHC: 10602

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका संख्या 782/2025

- राकेश जैन पिता श्री कनक राज जैन, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी-सदर बाजार, थाना कोतवाली, तहसील और जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

..... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. सुनील लेखवानी, पिता स्वर्गीय श्यामलाल लेखवानी, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी-सुनील फुट वियर, गुडाखू लाइन, थाना बसंतपुर, तहसील और जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, मकान का पता-लालबाग, सिंधी कॉलोनी, थाना-बसंतपुर, तहसील और जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

..... उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री रवि कुमार बोधानी, अधिवक्ता
उत्तरवादीगण के लिए	:	सुश्री प्रिया शर्मा, पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा

पीठ पर पारित आदेश

04/03/2025

1. याचिकाकर्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत यह दाण्डिक विविध याचिका विद्वान् सत्र न्यायाधीश, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण क्र. 64/2024 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 15/01/2025 को

अपास्त करने के लिए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को निरस्त कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 के अंतर्गत निम्नलिखित अनुतोषों हेतु वर्तमान दाण्डिकआपराधिक विविध याचिका दाखिल की गई है :

> 1. कि, यह माननीय न्यायालय विद्वान मुख्य न्यायिक प्रथम श्रेणी, जिला राजनांदगांव के समक्ष लंबित नियमित परिवाद प्रकरण क्र.2977/2018 के अभिलेखों को मंगाने की कृपा करें।
>
> 2. कि, यह माननीय न्यायालय कृपया आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक ए/1) को अभिखंडित एवं अपास्त करने की कृपा करें जिसके द्वारा आवेदन दिनांक 30.05.2024, पुनरीक्षण याचिका और आदेश दिनांक 04.10.2024 को निरस्त किया गया है।
>
> 3. कि, यह माननीय न्यायालय कृपया आवेदन 30.05.2024 को स्वीकार करने और न्याय के हित में आदेश दिनांक 04.10.2025 के साथ आदेश दिनांक 15.01.2025 को रद्द करने की कृपा करें।
>
> 3. कोई अन्य आदेश, जिसे यह माननीय न्यायालय विधि और न्याय के हित में उपयुक्त समझे, जारी करने की कृपा करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रकरण के तथ्य यह हैं कि दिनांक 11/01/2018 को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आवेदक द्वारा उत्तरवादी संख्या 1 के विरुद्ध न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव जिला राजनंदगांव के न्यायालय में एक परिवाद दायर किया गया था और दिनांक 15/01/2018 को परिवाद को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिला राजनांदगाव द्वारा दिनांक 08.03.2018 को अनुपस्थिति के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद पुनरीक्षण प्रकरण क्र.45/2018 आवेदक द्वारा दायर किया गया था जिसे पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 11/02/2019 (अनुलग्नक ए/3) को स्वीकार कर लिया गया था, और शिकायतकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता को दिनांक

23.02.2019 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/01/2025 और विद्वान् विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 04/10/2024 अवैध और विधि विरुद्ध है। मूल प्रकरण में संलग्न सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ-साथ अनुलग्नक ए/3 के अनुलग्नक ए/1 पर विचार किये बिना विद्वान विचारण न्यायालय और विद्वत रिवेंशनल न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष तर्क के दौरान यह बताया गया कि आवेदक द्वारा प्रेषित विधिक सूचना सुनील फुट वेयर के व्यवसायिक स्थान तथा निवास स्थान लालबाग राजनांदगांव दोनों स्थानों पर प्रेषित किया गया है, जिसे उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा प्राप्त किया गया है तथा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 45/2018 में उपस्थित उत्तरवादी ने कभी भी यह कथन नहीं किया है कि प्रस्तुत शिकायत उसके विरूद्ध नहीं है तथा प्रश्नगत चेक उसके भाई राकेश द्वारा जारी किया गया है तथा वह आरोपी नहीं है; पुनरीक्षण याचिका में उत्तरवादी द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं दिया गया है तथा उत्तरवादी ने अपने भाई को बचाने की नियत से तथ्यों को छिपाया था, जिससे उत्तरवादी क्रमांक 1 की दुर्भावना तथा न्यायालय के साथ की गई धोखाधड़ी स्पष्ट प्रतीत होती है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय ने उत्तरवादी संख्या 1 को सूचना जारी की और उत्तरवादी सं. 1 विचारण न्यायालय में प्रस्तुत हुआ और उसे जमानत मिल गई। उसके बाद, उत्तरवादी संख्या 1-सुनील ने कभी भी कोई आपत्ति आवेदन दायर नहीं किया कि प्रश्नाधीन चेक उसका नहीं है और उसके विरुद्ध जो परिवाद दर्ज किया गया है, गलत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है। उसके बाद, विचारण न्यायालय के समक्ष अपराध के कथन के समय भी, उत्तरवादी चुप रहा और अपने भाई राकेश का बचाव करते हुए या अपना नाम नहीं बताते हुए कपटपूर्ण रीती से हर सुनवाई में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहा। जब शिकायतकर्ता/आवेदक को साक्ष्य के दौरान पता चला कि राकेश के स्थान पर सुनील फुटवियर में सुनील लेखवानी का नाम दर्ज किया गया है, तब सुनील के स्थान पर राकेश का नाम लाकर इसे ठीक किया जाना चाहिए और राकेश को आदेश जारी किया जाना चाहिए, परंतु विचारण न्यायालय ने प्रकरण की परिस्थितियों के विपरीत आदेश पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। न्यायालय ने उसमें यह अभिनिर्धारित किया था कि शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा जिन टंकण संबंधी त्रुटियों पर ध्यान आकृष्ट किया गया है, उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा ठीक किया जाना चाहिए था, क्योंकि विचारण न्यायालय के पास पक्षकारों के साथ न्याय करने के लिए ऐसी टंकण संबंधी त्रुटियों को सुधारने की अंतर्निहित शक्ति है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गए तर्कों का विरोध किया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश की उचित रूप से पुष्टि की है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

7. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों और अभिलेखों को पूरी तरह से सावधानी से देखा और पाया कि याचिकाकर्ता ने "सुनील लेखवानी" के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881(संक्षिप्त "एन. आई. ए. अधिनियम, 1881") की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद

प्रकरण दर्ज किया है, भले ही उसने एन. आई. ए. अधिनियम, 1881 की धारा 138 (ख) के अंतर्गत "सुनील लेखवानी" को सूचना जारी की है और उसके बाद दण्डाधिकारी ने परिवाद दर्ज करने के बाद दिनांक 04.10.2024 को संज्ञान लिया है, याचिकाकर्ता ने आरोपी "सुनील लेख" के नाम को हटाने के लिए आवेदन दायर किया है और "सुनील लेखवानी" के स्थान पर याचिकाकर्ता का नाम आरोपी के रूप में "राकेश लेखवानी" का नाम सम्मिलित/जोड़ना चाहा है, जिसे संबंधित दण्डाधिकारी ने दिनांक 04.10.2024 को निरस्त कर दिया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि परिवादी द्वारा "श्री राकेश लेखवानी" को कोई सूचना जारी नहीं की है। यह सुस्थापित विधि है कि "यदि ईप्सित संशोधन एक साधारण कमी है जो एक औपचारिक संशोधन के माध्यम से ठीक की जा सकती है या/और जहां दूसरे पक्षकार पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, तो न्यायालयों को संशोधन के ऐसे अनुरोध (अनुरोधों) को अनुज्ञात करने का अधिकार है। तथापि, जहां विवाद्यक एक उपचार योग्य कमी से संबंधित नहीं है और इसे एक औपचारिक संशोधन द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है या/यदि विपरीत पक्ष को इस तरह के संशोधन से पूर्वाग्रह कारित होता है, तो न्यायालय ऐसे संशोधन आवेदनों को अनुज्ञात नहीं करेगी। " तथापि, इस प्रकरण में परिवादी राकेश लेखवानी को एन. आई. ए. अधिनियम की धारा 138 (ख) के अंतर्गत सूचना दिए बिना आरोपी का नाम परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए, ईप्सित संशोधन साधारण प्रकृति का नहीं है और यह एक उपचार योग्य कमी से ग्रसित नहीं है तथा इसे औपचारिक संशोधन द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस तरह के संशोधन से विपरीत पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह हो सकता है, इसलिए विचारण न्यायालय के साथ-साथ पुनरीक्षण न्यायालय ने परिवादी द्वारा आक्षेपित आवेदन और पुनरीक्षण को उचित रीती से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकार किया है, आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता और विकृति नहीं है और विचारण न्यायालय और साथ ही पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए, वर्तमान याचिका निरस्त किये जाने योग्य है और एतद्वारा **निरस्त की जाती है**।

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

वैशाली

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**